राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–401, 402, 403 व 404/2009/जयपुर.

मैसर्स राजेश मोटर (एजेन्सीज) प्रा0लि0,
जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राज.–तृतीय, जयपुर। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22/03/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त चारों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा संयुक्त रूप से पारित किये गये आदेश कमांक 183–182–181/07–08/ एव 02/RVAT /A/08–09 दिनांक 30.12.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की वर्ष 2006–07 की आलौच्य अवधियों की प्रत्येक तिमाही के लिये पारित किये गये आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. इन चारों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित समान बिन्दु निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी मोटर वाहन एवं पार्ट्स का विक्रय करता है। आलौच्य अवधियों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा "Dummy Rear Axle Assembly" का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से किया गया, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल को 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए तद्नुसार चारो तिमाहीयों पर 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तद्नुसार ब्याज एवं दिनांक 1.4.06 से 30.06.2006 व दिनांक 1.10.2006 से 31.12.2006 (प्रथम व तृतीय तिमाही) से सम्बन्धित प्रकरणों में करापवंचन के लिये शास्ति का भी आरोपण किया गया।

लगातार.....2

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा Dummy Rear Axle Assembly का विक्रय किया गया है, जो कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14(IV)(XIV) के तहत एक घोषित वस्तु है, अतः इस पर 4 प्रतिशत की दर से अधिक कर वसूल नहीं किया जा सकता। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम राज एग्रो इण्डस्ट्रीज (1987) 64 एस.टी.सी. 178** के मामले में निर्णीत किया है कि एक्सल पर केवल हब्स और बियरिंग लगा देने से यह भिन्न वस्तु नहीं हो जाती है। कथन किया कि मोटर वाहनों में ब्रेक लगाने के लिए एक्सल पर ड्रम आदि लगाने आवश्यक है। इस प्रकार ड्रम आदि लगाने से एक्सल की प्रकृति नहीं बदलती है। अतः व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जाने वाले "Dummy Rear Axle Assmebly" एक्सल ही हैं तथा केन्द्रीय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के तहत घोषित वस्तु है, इसकी बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से अधिक की दर से करारोपण नहीं किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा समान प्रकरण **अपील संख्या 376/2009 से 380/2009/जयपुर मैसर्स गैलेक्सी ऑटो एक्सल प्रा0 लि0 जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–तृतीय, जयपुर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 20.04.2017** व **अपील संख्या 2053, 2054/2010, 36/2011 एवं 382/2012** मै0 **लक्ष्मी मोटर्स बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–तृतीय, जयपुर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 15.01.2018** की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त उत्पाद पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होना अवधारित किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अविधिक होने से अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

लगातार.....3

7. हस्तगत प्रकरणों में विवाद केवलमात्र यह है कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल "Dummy Rear Axle Assmebly" केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14(IV)(XIV) की प्रविष्ठि 'एक्सल' में ही विहित मानी जावे या नहीं, क्योंकि इस वस्तु को उक्त प्रविष्ठि में माना जाने पर कर देयता स्वतः 5 प्रतिशत ही रहेगी। चूंकि इस सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 20.04.2017 में इसी ''उत्पाद'' पर विस्तृत विवेचन करते हुए माननीय खण्डपीठ द्वारा 4 प्रतिशत की करदेयता होना अवधारित किया जा चुका है, जिसके निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :–

> "13. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों के परिशीलन किया गया। अपीलार्थी के प्रतिकरापवंचन के कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार नहीं होने के संदर्भ में व्यवहारी ने मैसर्स रामबाग पैलेस होटल प्रा.लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (6 एसटीओ 220), मै. डेज मेडिकल स्टोर्स लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन (10 एसटीए पेज 281), मै. डी.के. वूलन इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (1998 टैक्स वर्ल्ड पेज 14) मै. वासुकी इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन (3 एसटीओ पेज 1), मै. होन्डा सिएल पावर प्रोडेक्टस लि. बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन (2002) 3 टैक्स अपडेट पेज 320 तथा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन प्रथम, जयपुर बनाम सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रोनिक्स लि. जयपुर के उद्धरण प्रस्तुत कर कहा है कि करापवंचन शाखा द्वारा अविधिक एवं अनुचित तरीके से क्षेत्राधिकार अर्जित किया है। उक्त समस्त न्यायिक दृष्टांतों का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने निर्णय के कॉलम संख्या 12 में विस्तृत उल्लेख करते हुए संबंधित प्रकरण से भिन्न पाया है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजस्थान के परिपत्र दिनांक 01.04.1997 में कर में अंतर के प्रकरण में प्रतिकरापवंचन की शाखा का क्षेत्राधिकार निश्चित किया है। अतः क्षेत्राधिकार पर उठाई गई आपत्तियां स्वीकार योग्य नहीं है।
>
> 14. अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज (1987) 64 एसटीसी 178, माननीय उच्चतम न्यायालय मैसर्स दीवान एन्टरप्राइजेज बनाम बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश 102 एसटीसी 384 एवं माननीय उच्च न्यायालय के बिक्री कर आयुक्त बनाम शंकर मोटर्स (1995) 98 एसटीसी 384 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गैलवानाइज्ड स्टील पाईप को धारा 14 के तहत घोषित वस्तु मानने के मैसर्स गुजरात स्टील टयूब्स लि. बनाम केरल राज्य का ''एक्सल' को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा (IV)(XIV) के तहत घोषित वस्तु का कथन किया है इस कारण इस पर 4 प्रतिशत की दर से अधिक कर वसूल नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में **Noorie Manure Mill Vs Commissioner, Trade Tax, UP (S.C.) [(2007)] 8 VAT Reporter Part-2 page 144]** के मामले में निर्णीत किया है कि **"For classification of commodities, common**

लगातार.....4

parlance test to be applied," माननीय उच्चतम न्यायालय ने Trutuf Safty Glass Industreis Vs Commissioner of Sales Tax, UP (S.C.) [(2007)] 8 VAT Reporter Part - II Page 281] के मामले में निर्णीत किया है कि – Entries in taxation are not to be interpreted based on the scientific meaning of the term or expressions used but they are to be interpreted based on their popular meaning i.e. the meaning attached to them by those dealing in them" माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (1987) 64 एसटीसी 178 के उक्त निर्णयों के आलोक में यह स्पष्ट है कि Dummy Rear Axle Assembly वस्तुतः एक्सल ही है और 5 प्रतिशत की दर से करयोग्य है। यह केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 (IV)(XIV) में वर्णित एक्सल है तथा 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः इस बिन्दु पर व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती है।"

8. उक्त निर्णय में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा इसी उत्पाद पर कर दर से सम्बन्धी निर्णय पारित होने से एवं हस्तगत प्रकरण उक्त निर्णय से पूर्णतया आच्छादित होने से अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत उत्पाद Dummy Rear Axle Assembly पर अनुसूची–IV के अनुसार करदेयता होना अवधारित किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 8. 5 प्रतिशत की दर से आरोपित अन्तर कर, तद्नुसार ब्याज एवं आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों को भी अपास्त किया जाता है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की चारों अपीलें स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

22/03/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य